

Duplicate Copy

22-Nov-2022

आदेश

तिथि

Oct 29 2020

आदेश पर की

गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा पतराकुल्ही थाना झरिया

खाता	प्लॉट	रकबा
194	532	0 एकड़, 2700 वर्गफीट, 0हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
SRI RABINDRA NATH SAMAL	पिता	SRI BAIKUNTH NATH SAMAL

है जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 3501 दिनांक MMM d yyyyके द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदरैयत

रैयत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
राविन्द्र नाथ सामल	पिता	वैकुण्ठ नाथ सामल

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है।

राजस्व कर्मचारी एबम अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार दाखिल खारिज आबेदन को स्वीकृत हेतु अनुसंसा किया गया है अत दाखिल खारिज आबेदन को स्वीकृत किया जाता है

अतः वार्षिक लगान **8रुपये****स्वीकृत**

अलावे सेस के साथ नामान्तरण

किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :

PRASANT KUMAR LAYAK

अंचलाधिकारी धनबाद